प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

23 नवंबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2026 के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की

भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2025 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी।

डी-एसआईबी की सूची निम्नानुसार हैं:

बकेट	बैंक	जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 की आवश्यकता
5	-	1%
4	भारतीय स्टेट बैंक	0.80%
3	-	0.60%
2	एचडीएफसी बैंक	0.40%
1	आईसीआईसीआई बैंक	0.20%

पृष्ठभूमि:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) संबंधी कार्य के लिए ढांचा जारी किया था, जिसे बाद में 28 दिसंबर 2023 को अद्यतित किया गया था। डी-एसआईबी ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करना होता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना होता है। जिस बकेट में डी-एसआईबी को रखा गया है, उसके आधार पर उस पर एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर की आवश्यकता लागू की जाती है। यदि कोई विदेशी बैंक, जिसकी शाखा भारत में मौजूद है और वह एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) है, तो उसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होता है, अर्थात् गृह विनियामक द्वारा

निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर (राशि) को, समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत आरडब्ल्यूए द्वारा गुणा करके कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए से विभाजित करना।

रिज़र्व बैंक ने 2015 और 2016 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी घोषित किया था, जबकि एचडीएफसी बैंक को 2017 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान अपडेट 31 मार्च 2026 तक बैंकों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है।

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1547 मुख्य महाप्रबंधक